प्रार्थना पत्र

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी महोदय,

राजगढ़ जिला चूरू

प्रार्थना पत्र सं. सन

चन्द्रकला पत्नि दयाराम जाति जाट निवासी रड़वा तहसील राजगढ़ जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

श्रीमान तहसीलदार साहब राजगढ़ जिला चूरू

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 राज. भू राजस्व अधिनियम ।

श्रीमान जी,

प्रार्थना पत्र प्रार्थी निम्नांकित आधारों पर प्रस्तुत है –

1. यह कि कृषि भूमि खसरा नं. 1655 तादादी 3.8300 हेक्टेयर रोही क़स्बा राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्थित है । यहि विवादित कृषि भूमि है वास्ते मुलाहिजा जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 व पैमाइश रिपोर्ट संलग्न प्रार्थना पत्र हैं

2. यह कि प्रार्थी अकेली विवादित कृषि भूमि की खातेदार कास्तकार हैं । विवादित कृषि भूमि के पड़ोसी झगड़ालू किस्म के व्यक्ति है तथा प्रार्थी अपने व्यापार के सिल सिले में बाहर रहती है जिस कारण अपनी खातेदारी की विवादित कृषि भूमि की हर समय देख भाल नहीं कर सकती है जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए विवादित भूमि की चारों सीमाओं के पास के खातेदारों ने विवादित कृषि भूमि की सीमाओं को नष्ट कर सीमा चिन्ह समाप्त कर दिये व प्रार्थी के खातेदारी की विवादित भूमि पर नाजायज कब्ज़ा करना

चाहते हैं व समझाने पर झगडा करने पर उतारू हो जाते हैं । जिस कारण प्रार्थी ने विवादित कृषि भूमि की अनुभवी कर्मचारियों की टीम से पैमाइश करवा कर चारों सीमाओं पर पत्थर गढ़ी करवाये जाने हेतु अप्रार्थी को कहा मगर अप्रार्थी ने पत्थर गढ़ी बिना अदालत वाला के आदेश करवाये जाने से इन्कार कर दिया जिस कारण विवादित कृषि भूमि की अनुभवी कर्मचारियों से अप्रार्थि की मोजुदगी में पुख्ता पैमाइश कर चारों सीमाओं पर पत्थर गढ़ी का आदेश जारी करने हेतु यह प्रार्थना पैश किया जा रहा है ।

3. यह कि प्रार्थी ने अप्रार्थी को काफी कहा व कहलवाया कि वे प्रार्थी के खातेदारी की विवादित कृषि भूमि की पुख्ता पैमाइश करवा कर चारों तरफ की सीमाओं पर पत्थर गढ़ी करवा देवें मगर अप्रार्थी ने आदेश देने की अधिकारिता नहीं होना बताते हुये ऐसा मानने से इन्कार कर दिया जिस कारण प्रार्थी को प्रार्थना पत्र हाजा हेतु वाद कारण हासिल है ।

4. यह कि विवादित कृषि भूमि अदालत वाला के अधिक्षेत्र में स्थित है तथा पत्थर गढ़ी के आदेश पारित करने कि अधिकारिता अदालत वाला में निहित है जिस कारण अदालत वाला को प्रार्थना पत्र हाजा हेतु श्रवनाधिकार हासिल है ।

5. यह कि प्रार्थना पत्र प्राथी 2/ रुपये की निर्धारित कोर्ट फ़ीस पर अन्दर मियाद पैश है ।

अतः प्रार्थना पत्र पैश कर निवेदन है कि विवादित कृषि भूमि खसरा नं. 1655 तादादी 3.8300 हेक्टेयर रोही क़स्बा राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू की तहसीलदार या नायब तहसीलदार राजगढ़ जिला चूरू के नेतृत्व में अनुभवी पटवारी गिरदावर की टीम गठित कर पैमाइश करवाई जाकर चारों तरफ की सीमाओं की पत्थर गढ़ी करने के आदेश जारी फरमाये जावें । अति कृपा होगी ।

दिनांक 18.02.2021

प्रार्थी

चन्द्रकला पत्नि दयाराम